

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/7268

दिनांक: 16-12-2024

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 16.10.2024 द्वारा श्री हरजिन्द्र सिंह पार्षद वार्ड संख्या 06 को अध्यक्ष नगर पालिका पीलीबंगा के कार्यभार हेतु 60 दिवस या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरजिन्द्र सिंह पार्षद वार्ड संख्या 06 को नगरपालिका पीलीबंगा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार प्राल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/7269-7279

दिनांक: 16.12.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
8. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पीलीबंगा।
9. श्री हरजिन्द्र सिंह पार्षद वार्ड संख्या 06 नगर पालिका पीलीबंगा।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी